# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 01.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

**(2).** आज दिनाँक 01.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता

कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अनिल जोशी पुत्र रामहित जोशी निवासी काली मंदिर के पास सीतापु थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 18 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

**बरामदगी:-**

18 क्वार्टर देशी शराब

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री गौरव तिवारी

2.अभिषेक प्रताप सिंह

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनके टीम द्वारा अभियुक्त मुन्ना निषाद पुत्र रामभवन निवासी लोहरा थाना कमासिन जनपद बांदा को 01 किलो 967 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

**बरामदगी:-**

01 किलो 967 ग्राम गांजा

**गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.आरक्षी अतुल मिश्रा

3.आरक्षी दिनेश कुमार

4.आरक्षी ततिल सोनी

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाहगी अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर महिन्द्र पिकअप रजि0 नं0 UP96 T5901 पर अवैध तेंदु पत्ता लादकर जे लाते हुये अभियुक्त 1.अशोक कुमार पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी वेल्हाई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट उम्र 35 वर्ष 2.रामलखन पटेल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । पिक अप वाहन से 35 झाल तेंदु पत्ता बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 01 लाख 25 हजार रुपये है । अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में

मु0अ0सं0 122/24 धारा भादवि0 379,411 IPC व 5/26(1)(च)(क)/41/33(1)(A) भारतीय वन अधिनियम 1927 पंजीकृत किया गया तथा बरामदशुदा पिकअप वाहन को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1.अशोक कुमार पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी वेल्हाई थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट उम्र 35 वर्ष

2.रामलखन पटेल पुत्र सन्तोष कुमार निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट उम्र 24 वर्ष

**बरामदगीः-**

(1).35 झाल तेंदु पत्ता बरामद हुआ जिसकी कीमत लगभग 01 लाख 25 हजार रुपये

(2).महिन्द्र पिकअप रजि0 नं0 UP96 T5901

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री विनोद कुमार शुक्ला

2.आऱक्षी अंकित राजपूत

3.आरक्षी प्रभात कुमार दुबे

**(6).** आज दिनाँक 01.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री दिनेश त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल की उपस्थिति में थाना कोतवाली कर्वी में आज से लागू होने वाले नये भारतीय कानून के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजनमानस को भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं भारी संख्या में जनता के व्यक्ति तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**(7).** आज दिनाँक 01.07.2024 को माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री लवकुश चतुर्वेदी, कोपरेटिव बैंक अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल, ब्लाक प्रमुख पहाड़ी श्री सुशील द्विवेदी की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में आज से लागू होने वाले नये भारतीय कानून के शुभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सहायक शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) श्री सुशील कुमार सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह द्वारा आमजनमानस को भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों में प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों की अध्यक्षता में कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजनमानस को भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के सम्बन्ध में जागरुक किया गया।

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क).उ0नि0 श्री परशुराम यादव थाना पहाड़ी, आरक्षी जयप्रकाश, आरक्षी गुड्डू यादव, महिला आरक्षी काजल द्वारा मु0अ0सं0 68/2020 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम के वारंटी अभियुक्त राहुल उर्फ अखिलेश रैदास पुत्र गप्पू रैदास निवासी ग्राम नांदी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ख).चौकी प्रभारी सरैंया श्री यदुवीर सिंह, मुख्य आरक्षी दशरथ राम, आरक्षी राज मंगल,आरक्षी मनोज कुमार द्वारा मु0अ0सं0 304/2015 धारा 323,504 भादवि0 के वारण्टी अरुण सिंह पुत्र राम बदन सिंह निवासी ग्राम गडचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के गिरफ्तार किया गया।
(ग).प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, निरीक्षक लाखन सिंह, आरक्षी राहुल देव,आरक्षी नीतू द्विवेदी द्वारा मु0अ0सं0 422/2024 धारा 304,323,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त मोनू निषाद पुत्र भइयालाल निषाद 2.अभिषेक निषाद पुत्र राजकिशोर निवासीगण भैंरोपागा कर्वी 3.किशन पुत्र फूलचन्द्र निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(घ). उ0नि0श्री मेवालाल मौर्या,आरक्षी लल्लू प्रसाद,आरक्षी अजय द्वारा मु0नं0 2814/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोटू उर्फ दउआ निवासी चमरौडी चौकी सीतापुर को गिरफ्तार किया गया।
(ड़) चौकी प्रभारी शिवरामपुर उ0नि0श्री सत्यमपति त्रिपाठी,आरक्षी श्यामू द्वारा मु0न0 7724/022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त छोटा मुन्ना उर्फ नफीस अहमद खाँ को गिरफ्तार किया गया।